provide more allocation during the year 1993-94?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) the allocation made by the Central Government to Gujarat and offtake reported by the Government of Gujarat of rice, wheat, levy sugar and edible oils in 1993 are as under:

Commodity	Allotment	Off-take
Wheat	6,52,000 MT	3,58,344 MT
Rice	4,14,000 MT	2,79,742 MT
Edible Oil	4,500 MT	3,570 MT
Sugar	2,09,218.5 MT	2,08,910.0 MT

(b) Item-wise monthly scales of issue prescribed (Uniform for adult and child), by Government of Gujarat are:

Commodity	1985	1994 (Feb)
Wheat	15 kgs. per head	8 kgs per head
Rice	500 gms. per head (upto June, 1985) 1 kg per head (July-August, 1985) 2 kg per head (September, 1985) 3 kg per head (from October, 1985)	5 kgs. per head
Imported Edible Oil	500 gms. per head (upto April, 83) 400 gms. per head (June, 85) 500 gms. per head (from July, 85)	1 kg per card (those who are eligible for foodgrains)
Sugar	425 gms. per head 400 gms. per head	

(c) Government of Gujarat has reported as in October, 1993 there were 83,33,863 ration cards; 13,184 fair price shops and 4,46,96,245 people covered under the PDS in the State.

(d) No. Sir.

उपभोक्ता-परिषदों का राज्य-वार ब्यौरा

628. श्रीमती सत्या बहिनः क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः केन्द्र तथा राज्य-स्तर पर गठित उपभोक्ता परिषदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन परिषदों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पहले ही गठन किया जा चुका है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन कर लिया है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

केंद्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय परिषद के अन्य सदस्यों के नामों को दर्शाने वाली अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं॰ 12]

जहां तक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का संबंध है, अधिनियम में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न समयों पर अलग-अलग होती है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के सदस्यों की संख्या एवं उनके नामों के संबंध में मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।